न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 106 / 14

उनवान

कन्हैयालाल बनाम सीताराम

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0

–: आदेश :–

दिनांक :– 14.1.19

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद आज दिनांक को श्रीमान के समक्ष सुनवाई हेतु नियत है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए थे। विगत तारीख पेशी दिनांक 2.1.19 को उक्त प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड पर लिया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 तथा उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण पुनः एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए है। विगत तारीख 2.1.19 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 अजमेर गये होने व प्रतिवादी संख्य 1 किशनगढ का निवासी होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति सदभाविक है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश निरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन किया बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ने निवेदन किया की पत्रावली में दिनांक 25.9.18 को सुनवाई की दिनांक नियत थी तथा दिनांक 24.9.18 को जारी नोटिस तामिल हुआ था। जिसका मालूम होते ही मेरे द्वारा बिना देरी किये एक तरफा कार्यवाही को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र लगा दिया था। दौराने बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने सिविल कोर्ट केसेज पृष्ठ 768 से 770, सिविल कोर्ट केसेज (1) पृष्ठ 600, पृष्ठ 472 पेश किये।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 01 ने गवाह पेश करने के बाद एफ तरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी अनुपस्थिति का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है साथ ही पूर्व का आवेदन एक बार खारिज कर दिया जाने के पश्चात उसकी अपील ही की जावेगी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। प्रस्तुत नजीरों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त नोटिस दिनांक 24.9.18 को प्राप्त हो गया था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं या उसके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 25.9.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु दिनांक 31.10.18 को प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पेश किया जो दिनांक 2.1.19 को शामिल मिसल किया गया व दिनांक 2.1.19 को प्रतिवादी संख्या व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे जिस कारण उक्त दिनांक को पुनः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनांक 25.9.18 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के बाद दिनांक 8.10.18 व 22.10.18 को न्यायालय में पत्रावली सुनवाई (जिरह वादी) हेतु नियत थी किन्तु उक्त दिनांक को प्रतिवादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं हुये व उन्होंने दिनांक 31.10.18 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। परिसीमा अधिनियम 1963 में आदेश 9 नियम 7 सीपीसी की मियाद 30 दिवस नियत है किन्तु प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया साथ ही अपने प्रार्थना पत्र में अनुपस्थिति का कारण घर पर कार्य होना बताया गया जो क्षमा योग्य नहीं है। उसके उपरान्त दिनांक 2.1.19 को पुनः प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता प्रकरण में अनुपस्थित रहे व अनुपस्थिति का कारण मोटर साईकिल खराब होना बताया गया इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को सम्यक रूप से नोटिस तामिल होने के बाद बिना युक्तियुक्त कारण के प्रकरण में अनुपस्थित रहे है उनके द्वारा अनुपस्थिति के जो कारण बताये है वह सदभाविक प्रतीत नहीं होते है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नहीं पायी जाती है। अतः प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **"अस्वीकार"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक 14.1.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner